

[2024] 3 एसी. सी. आर. 309: 2024 आई एन एस सी 181

X X X X

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य

(आपराधिक अपील क्रमांक 3431/2023)

06 मार्च 2024

(न्यायमूर्ति श्री सी.टी. रवि कुमार एवं न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल *)

विचारणीय बिंदु

क्या अपीलार्थी द्वारा उसके विरुद्ध भा. दं. सं की धारा 376 (2)(ढ) एवं 506 को रद्द करने हेतु दं.प्र.सं की धारा 482 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज करना न्यायोचित है।

शीर्ष टिप्पणियाँ

दंड संहिता, 1860 - धारा 376 (2)(ढ) और 506 - एक ही स्त्री से बार-बार बलात्संग करने के लिए दंड- आपराधिक अभिवास के लिए दंड- परिवादी का मामला अपीलार्थी के विरुद्ध विवाह का झूठा झांसा देकर बलात्संग करने का आरोप है; और अपीलार्थी ने आश्वासन दिया कि यदि उसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया तो वह उससे विवाह करेगा और उसकी पुत्री की देखभाल करेगा- हालाँकि, अपीलार्थी ने विवाह करने से इनकार कर दिया- धारा 376 (2)(ढ) और 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया जाना - अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए याचिका- उच्च न्यायालय द्वारा खारिज- यथार्थता :

अभिनिर्धारित: परिवाद की अंतर्वस्तु से, जिसके आधार पर प्र. सू. रि. पंजीबद्ध की गयी थी और परिवादिया द्वारा दर्ज कराये गए कथनों से यह स्पष्ट है कि जब दोनों पक्षों के बीच संबंध शुरू हुए तो शुरुआत में विवाह करने का कोई वचन नहीं दिया गया था। किसी भी स्थिति में, यहां तक कि उन दिनांकों पर भी जब परिवादिया ने आरोप लगाया कि दोनों पक्षों के बीच शारीरिक संबंध थे, वह पहले से ही विवाहित थी। उसने झूठा दावा किया कि उसके पूर्व विवाह से विवाह विच्छेद वर्ष 2018 में हुआ था। हालाँकि, तथ्य यह है कि विवाह विच्छेद की डिक्री दो साल बाद पारित की गई थी। परिवादिया एक वयस्क महिला थी जो अपीलार्थी से लगभग दस वर्ष बड़ी थी- वह इतनी परिपक्व और बुद्धिमान थी कि वह उन नैतिक और अनैतिक कृत्यों के परिणामों को समझ सकती थी, जिनके लिए उसने अपने पूर्व विवाह के दौरान सहमति दी थी। वास्तव में, यह उसके पति से विश्वासघात का मामला था। इसके अतिरिक्त, अभियोक्ति ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी अपनी नौकरी के लिए दूसरे

राज्य में स्थानांतरित होने के बाद भी, परिवार के साथ आकर रहता था और वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे- अपीलार्थी का यह भी कहना है कि उसने अभियोक्ति को अग्रिम ऋण दिया था जो वापस नहीं लौटाया गया- इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं है जहां अभियोक्ति ने भ्रांत धारणा के कारण अपीलार्थी के साथ यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया। धारा 376 (2)(ढ) और 506 के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट और समस्त पश्चात्कर्ती कार्यवाही रद्द की गयी। [कंडिका 8, 9.1, 10]

उद्धृत न्यायदृष्टान्त

नईम अहमद बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), [2023] 1 एससीआर 1061: (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 89 - अवलंब लिया गया।

प्रशांत भारती बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), [2013] 1 एससीआर 504: (2013) 9 एससीसी 293 - संदर्भित

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

विशिष्ट शब्द (की-वर्ड) की सूची

विवाह का झांसा देकर महिला से बलात्संग; प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करना; नैतिक एवं अनैतिक कृत्यों के परिणाम; भ्रांत धारणा के कारण यौन सम्बन्ध के लिए सहमति

किससे उद्धृत मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील क्रमांक 3431/ 2023

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

अश्वनी कुमार दुबे, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी

डी. एस. परमार, एएजी, सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर, सौरभ सिंह, संतोष नारायण सिंह, मो. फैसल, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल

1. वर्तमान मामले में अपीलार्थी उच्च न्यायालय² द्वारा पारित आदेश¹ से व्यथित है, जिसमें उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट⁴ को रद्द करने के लिए दं.प्र.सं की धारा 482 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका³ को खारिज कर दिया गया।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो प्रत्यर्थी क्रमांक 2/परिवादी द्वारा दर्ज कराई गई थी, विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। परिवादी एक विवाहित महिला थी जिसकी 15 वर्ष की एक पुत्री थी जो अपने माता-पिता के साथ रहती थी। यह दावा करना कि उसी घर में, अपीलार्थी उसके माता-पिता और पुत्री की सहमति से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, इस पर विश्वास करना कठिन होगा, वह भी तब जब वह पहले से ही विवाहित थी। उस स्तर पर अपीलार्थी द्वारा उससे किए गए विवाह के वादे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। परिवादी द्वारा दं.प्र.सं की धारा 164 के अंतर्गत अभिलेखित कराए गए कथन के आलोक में देखा जाए तो पुलिस को की गई शिकायत, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, में बड़ी विसंगतियां हैं। पक्षकारों के बीच संबंध, यदि कोई हो, सहमतिपूर्ण दिखाए गए हैं। परिवादी का गलत कथन इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने दावा किया है कि उसने 10 दिसंबर 2018 को अपने पूर्व विवाह में विवाह विच्छेद कर लिया है और जनवरी 2019 में एक मंदिर में अपीलार्थी के साथ विवाह किया, लेकिन यह इस तथ्य से असत्य साबित होता है कि परिवादिया के पूर्व विवाह में विवाह विच्छेद की डिक्री 13.01.2021 को पारित की गयी थी। उससे पूर्व किसी विवाह का प्रश्न ही नहीं था। अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। तर्कों के समर्थन में, **नईम अहमद बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)**⁵ और **प्रशांत भारती बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)**⁶ में इस न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया गया।

3. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अन्वेषण के पश्चात आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। सामान्यतः न्यायालय उस स्तर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने में धीमे होते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में विवाह का झूठा वादा कर बलात्संग का आरोप स्पष्ट रूप से बनता है। रद्द करने के चरण में, केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु ही देखी जा सकती। इसके अवलोकन से अपीलार्थी के विरुद्ध स्पष्ट मामला बनता है।

4. परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पूर्व विवाह में अपने पति के साथ विवाद के कारण, परिवादिया अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। उस समय उसकी 15 वर्षीय पुत्री थी। अपीलार्थी उनके घर में किरायेदार के रूप में रह रहा था। यह पाते हुए कि परिवादिया का

वैवाहिक जीवन अशांत है, अपीलार्थी द्वारा किये गए अग्रगमन से परिवादिया जाल में फँस गयी। विवाह के झूठे वादे पर दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगे। उन्होंने जनवरी 2019 में एक मंदिर में विवाह भी कर लिया था। यहां तक कि उनके परिवार को भी उनके रिश्ते और विवाह के बारे में पता था। यह सब अपीलार्थी द्वारा किए गए वादे के सद्भाव में था क्योंकि अपीलार्थी ने परिवादिया को उसके द्वारा खरीदी गई बीमा पॉलिसी में नामांकित व्यक्ति के रूप में भी दिखाया था। अभिलेख पर इन तथ्यों के साथ, अपीलार्थी के विरुद्ध विवाह का झूठा वादा करके बलात्संग का स्पष्ट मामला बनता है। प्रारंभिक स्तर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द करने योग्य नहीं है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और कागजात पुस्तक (पेपरबुक) का अवलोकन किया।

6. सर्वप्रथम, हम प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादिया द्वारा अपनाए गए रुख और दं. प्र. सं. की धारा 164 के अंतर्गत उसके द्वारा दर्ज कराए गए कथन का सन्दर्भ लेते हैं। उसमें विसंगतियां हैं।

6.1 प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसने बताया कि वह अपनी कपड़े की दुकान चलाती थी। पति से विवाद होने के कारण वह अलग रह रही थी। दिनांक 10.12.2018 को उसका अपने पति से विवाह विच्छेद हो गया। उसकी एक 15 वर्षीय पुत्री है। वर्ष 2017 में, सद्भाव कंपनी ने उनके घर की पहली मंजिल किराए पर ली थी जिसमें अपीलार्थी, जो उस कंपनी में काम करता था, रहता था। खाली समय में वह उसकी दुकान पर आकर बैठ जाता था। धीरे-धीरे संबंध विकसित हुए। चूँकि वह अपने पति से अलग रह रही थी, अपीलार्थी ने प्रस्ताव दिया कि यदि वह विवाह विच्छेद करती है, तो वह उससे विवाह करेगा। परिवादिया के विवाह विच्छेद के बाद दिनांक 10.01.2019 को रात्रि लगभग 11.00 बजे अपीलार्थी उसके कमरे में आया और शारीरिक संबंध बनाये। वह तब भी नहीं रुका जब उसने कहा कि उनका अभी विवाह नहीं हुआ है। इसके अलावा, विवाह का वादा करके उसने 06.06.2020 को उसके साथ संबंध बनाए। जब उसने विवाह के लिए जोर दिया तो अपीलार्थी ने कहा कि उसका परिवार सहमत नहीं है। अंततः उसने 11.12.2020 को इंकार कर दिया। तत्पश्चात 11.12.2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

6.2 दं. प्र. सं. की धारा 164 के अंतर्गत अपना कथन दर्ज कराते समय उसने स्वीकार किया कि वह अपीलार्थी को 2017 से जानती है। अपने पति के साथ विवाद के कारण, वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। जैसे ही वह अपीलार्थी से परिचित हुई, उन्हें प्रेम हो गया। वर्ष 2018 में, अपीलार्थी नौकरी के लिए महाराष्ट्र गया। हालाँकि, वह उसके घर जाता था और परिवादिया के साथ-साथ उसकी पुत्री का भी ध्यान रखता था। वर्ष 2019 में, अपीलार्थी ने परिवादिया को आश्वासन दिया कि यदि वह अपने पति से विवाह विच्छेद करती है जो उसका उत्पीड़न करता था और पीटता था तो वह उससे विवाह करेगा। इस कारण से, उसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया और जनवरी 2019 में एक मंदिर में अपीलार्थी से विवाह कर लिया। तत्पश्चात, वे उसकी पिछली शादी से जन्मी उसकी

पुत्री के साथ रहने लगे। आश्वासन के बावजूद अपीलार्थी ने कोर्ट मैरिज नहीं की। मंदिर में विवाह संपन्न होने के बाद, अपीलार्थी को अपना पति मानते हुए, वे दोनों जनवरी 2019 से जून 2020 तक शारीरिक संबंध बनाकर विवाहित जीवन जीने लगे। अपीलार्थी ने परिवादिया को अपनी पत्नी की तरह माना। तत्पश्चात्, अपीलार्थी ने उसकी फ़ोन कॉल का जवाब देने और यहां तक कि उससे विवाह करने से भी इनकार कर दिया।

6.3 दं. प्र. सं. की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान में परिवादिया के रुख में पूरी तरह से बदलाव आया। तथ्य यह है कि पक्षकार स्वीकृत रूप से वर्ष 2017 से सम्बन्ध में थे। जनवरी 2019 में कथित तौर पर विवाह करने का वादा किया, जहां से उन्होंने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। यह भी अभिलेख में आया है कि यह न केवल परिवादिया की सहमति है जो स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष है बल्कि परिवादिया के माता-पिता और पुत्री की भी सहमति है क्योंकि वे उसी घर में रह रहे थे, जहां कथित तौर पर अपीलार्थी और परिवादिया शारीरिक संबंध बना रहे थे।

7. इसके अलावा, प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादिया ने कहा कि उसका अपने पूर्व पति से 10.12.2018 को विवाह विच्छेद हो गया था। दं. प्र. सं. की धारा 164 के अंतर्गत कथन में, उसने कहा कि अपीलार्थी और परिवादिया का जनवरी 2019 में एक मंदिर में विवाह हुआ था। हालांकि, परिवादिया द्वारा दावा की गई विवाह विच्छेद की दिनांक, अपील के साथ अनुलग्नक पी 9 के रूप में संलग्न डिक्री की प्रति से झुठला गयी है, जहाँ परिवादिया और उसके पति का निर्णय दिनांक 13.01.2021 के द्वारा आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हुआ था। उपरोक्त तथ्य पर विवाद नहीं किया जा सकता था। अर्थात्, परिवादिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में तथ्यों के अलावा और दं. प्र. सं. की धारा 164 के अंतर्गत पूर्व विवाह में विवाह विच्छेद के संबंध में दिए गये कथन में भी यह दावा करना चाहा कि उसने अपने पूर्व विवाह के अस्तित्व के दौरान अपीलार्थी के साथ पुनर्विवाह किया था।

8. परिवाद की अंतर्वस्तु से, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और परिवादिया द्वारा कथन अभिलेखित कराया गया, यह स्पष्ट है कि वर्ष 2017 में जब दोनों पक्षों के बीच संबंध शुरू हुए तो शुरुआत में विवाह का कोई वादा नहीं किया गया था। किसी भी स्थिति में, उन दिनांकों पर भी जब परिवादिया ने आरोप लगाया कि दोनों पक्षों के बीच शारीरिक संबंध थे, वह पहले से ही विवाहित थी। उसने झूठा दावा किया कि उसके पूर्व विवाह से विवाह विच्छेद दिनांक 10.12.2018 को हुआ था। हालाँकि, तथ्य यह है कि विवाह विच्छेद की डिक्री 13.01.2021 को ही पारित की गई थी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां परिवादिया अपरिपक्व आयु की थी जिसे अपने कल्याण की दूरंदेशी नहीं थी और सही निर्णय नहीं ले सकती थी। वह एक वयस्क महिला थी जो अपीलार्थी से लगभग दस वर्ष बड़ी थी। वह इतनी परिपक्व और बुद्धिमान थी कि उन नैतिक और अनैतिक कृत्यों के परिणामों को समझ सकती थी जिनके लिए उसने पूर्व विवाह के अस्तित्व के दौरान सहमति दी थी। वास्तव में, यह अपने पति के साथ विश्वासघात का मामला था। अभियोक्ति का यह स्वीकृत मामला है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी नौकरी के लिए महाराष्ट्र चले जाने के बाद भी, परिवार के साथ आकर रहता था और वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। अपीलार्थी का यह भी

कहना था कि उसने बैंकिंग चैनल के माध्यम से अभियोक्त्र को ₹1,00,000/- का अग्रिम ऋण दिया था जो वापस नहीं लौटाया गया।

9. इसी तरह के मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा **नईम अहमद** के मामले (उपरोक्त) में लगभग समान तथ्यों पर विचार किया गया था, जहां अभियोक्त्र स्वयं पहले से ही एक विवाहित महिला थी और उसके तीन बच्चे थे। विवाह के झूठे वादे पर कथित बलात्संग की शिकायत उनके संबंध बनाने के पांच साल बाद की गई थी। यहां तक कि वह अभियुक्त से गर्भवती भी हो गई। वहीं दोनों पक्षों के बीच रिश्ते शुरू होने के काफी समय बाद उन्होंने अपने वर्तमान विवाह में विवाह विच्छेद ले लिया। इस न्यायालय ने पाया कि इस बात की बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा सकती कि पीड़िता ने भ्रांत धारणा के कारण यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी। अभियुक्त को दोषी नहीं माना गया। उसकी सुसंगत कंडिका क्रमांक 21 नीचे उद्धृत है:

“21. वर्तमान प्रकरण में, अभियोक्त्र जो स्वयं एक विवाहित महिला थी और उसके तीन बच्चे थे, उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपीलार्थी द्वारा दिए गए कथित झूठे वादे के तहत या अपीलार्थी के साथ यौन संबंध बनाने की सहमति देते समय तथ्य की भ्रांत

धारणा के तहत काम किया था। निर्विवाद रूप से, वह वर्ष 2015 में परिवाद प्रस्तुत करने तक कम से कम लगभग पांच वर्षों तक उसके साथ ऐसे संबंध रखती रही। यहां तक कि यदि न्यायालय के समक्ष उसके बयान में उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रत्यक्ष रूप से देखा जाये, तो भी ऐसे आरोपों को अपीलार्थी द्वारा बलात्संग का अर्थ लगाना, मामले को बहुत दूर तक खींचना होगा। एक विवाहित महिला और तीन बच्चों की मां होने के नाते पीड़िता इतनी परिपक्व और बुद्धिमान थी कि वह उस कार्य के नैतिक या अनैतिक होने के महत्व और परिणामों को समझ सकती थी जिसके लिए वह सहमति दे रही थी। अन्यथा भी, यदि अभियुक्त के साथ ऐसे संबंध के दौरान उसके संपूर्ण आचरण को बारीकी से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने आरोपी के साथ संबंध बनाकर अपने पति और तीन बच्चों को धोखा दिया था, जिसके लिए वह उसे पसंद करने लगी थी। वह आरोपी के साथ बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए अपने पति के साथ विवाहित रहने के दौरान उसके साथ रहने चली गई थी। वर्ष 2011 में जब तक आरोपी द्वारा उसे गर्भवती नहीं किया गया, और उसने आरोपी से एक पुत्र को जन्म दिया, तब तक उसे आरोपी के विरुद्ध उससे विवाह करने का झूठा वादा करने या धोखा देने की कोई शिकायत नहीं थी। वह वर्ष 2012 में आरोपी के पैतृक स्थान पर भी गई और उसे पता चला

कि वह एक विवाहित व्यक्ति है और उसके बच्चे भी हैं, फिर भी वह बिना किसी शिकायत के आरोपी के साथ दूसरे परिसर में रहती रही। यहां तक कि उसने 2014 में अपने तीन बच्चों को अपने पति के पास छोड़ते हुए आपसी सहमति से अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया। केवल वर्ष 2015 में ही जब उनके बीच कुछ विवाद हुआ होगा, तभी वर्तमान परिवाद प्रस्तुत किया। अभियुक्त ने आगे दं. प्र. सं. की धारा 313 के अंतर्गत अभिलेखित अपने कथन में कहा था कि उसने परिवाद प्रस्तुत किया था क्योंकि अभियुक्त ने उसकी मांग पर उसे एक बड़ी रकम देने से इंकार कर दिया था। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी तरह से कल्पना करते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोक्ति ने तथ्य की भ्रांत धारणा के कारण अपीलार्थी के साथ यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी, ताकि अपीलार्थी को भा. दं. सं की धारा 375 के अंतर्गत बलात्संग करने का दोषी ठहराया जा सके।"

9.1 उपरोक्त तर्क पूर्ण रूप से अपीलार्थी द्वारा उठाए गए कानूनी मुद्दे से निपटते हैं।

10. उपरोक्त उल्लिखित कारणों से, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है। दिनांक 11.12.2020 को धारा 376(2) (ड) और 506 भा. दं. सं के तहत पुलिस स्टेशन, महिला थाना, जिला सतना (म.प्र.) में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 52 और समस्त पश्चात्त्वर्ती कार्यवाही रद्द की जाती है।

11. तद्विषय अपील स्वीकार की जाती है।

.....न्यायमूर्ति
(श्री सी.टी. रवि कुमार)
.....न्यायमूर्ति
(श्री राजेश बिंदल)

नई दिल्ली

6 मार्च 2024.

* के द्वारा निर्णय लिखा गया

1. आदेश दिनांक 01.08.2022.

2. उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

3. विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 15992/2021.

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 52 दिनांक 11.12.2020 धारा 376 (2) (ड) और 506 भा. दं. सं के अंतर्गत पुलिस स्टेशन महिला थाना, जिला सतना, (म.प्र.) में दर्ज की गई।

विनीता यादव द्वारा अनुवादित